भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 336
उत्तर देने की तारीख: 21.07.2026

अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति

336. **श्री के. राधाकृष्णन:**
श्री बैन्नी बेहनन:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26 के दौरान अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के अंतर्गत कितना बजट आवंटित और उपयोग किया गया है;

(ख) इसके अंतर्गत कवर किए गए लाभार्थियों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या राज्यों को निधि जारी करने में देरी हो रही है जिसके कारण छात्रों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा छात्रवृत्ति संवितरण प्रक्रिया को डिजिटल बनाने और सरल बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री रामदास आठवले)

(क) और (ख): पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना और ओबीसी, ईबीसी एवं डीएनटी छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत बजट आवंटन (संशोधित अनुमान) और वास्तविक व्यय **संलग्नक-I** पर दिया गया है। पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान लाभार्थियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या **संलग्नक-II** पर दी गई है।

(ग) और (घ): वर्ष 2021-22 से अनुसूचित जातियों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) की शुरुआत के बाद से, छात्रवृत्ति की राशि सीधे लाभार्थी के आधार से जुड़े बैंक खाते में संवितरित की जाती है। छात्रवृत्ति के लिए केंद्र का हिस्सा जारी किया जाना राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन द्वारा संबंधित राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र द्वारा भुगतान संबंधी डेटा को सेंट्रल पोर्टल पर साझा किए जाने पर निर्भर है।

ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए केंद्र प्रायोजित पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत, निधियां राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्वीकृत और संवितरित की जाती है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपने संबंधित छात्रवृत्ति पोर्टलों के साथ-साथ एनएसपी के माध्यम से पात्र आवेदकों को छात्रवृत्ति संवितरित करते हैं। मुख्य रूप से अधूरे प्रस्तावों, लंबित उपयोग प्रमाण-पत्रों और एसएनए-स्पर्श प्लेटफॉर्म पर कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के ऑन-बोर्ड न होने के कारण निधि जारी करने में देरी होती है।

संवितरण प्रक्रिया को डिजिटल और सरल बनाने के लिए, राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल और राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर आवेदनों को पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से प्रोसेस किया जाता है। इसके कार्यान्वयन की निगरानी तृतीय पक्ष मूल्यांकन, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और राज्य स्तरों पर समय-समय पर समीक्षा बैठकों तथा वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा क्षेत्र के दौरों के माध्यम से की जाती है, साथ ही प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूकता अभियान भी चलाए जाते हैं।

संलग्नक-I

'अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति' के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 336, जिसका उत्तर 21.07.2026 को दिया जाना है, के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित संलग्नक

राशि (रूपये करोड़ में)

वित्तीय वर्ष		2023-24		2024-25		2025-26	
क्र. सं.	योजना का नाम	बजट आवंटन (संशोधित अनुमान)	वास्तविक व्यय	बजट आवंटन (संशोधित अनुमान)	वास्तविक व्यय	बजट आवंटन (संशोधित अनुमान)	वास्तविक व्यय
1	अनुसूचित जातियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	5400	5475.42	5500	5581.52	6000	6208.08
2.	ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति	1087	988.45	921	895.47	1000	1138.88

संलग्नक-II

'अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति' के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 336, जिसका उत्तर 21.07.2026 को दिया जाना है, के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित संलग्नक

क. अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना:

वित्तीय वर्ष		2023-24	2024-25	2025-26
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लाभार्थियों की संख्या	लाभार्थियों की संख्या	लाभार्थियों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	195269	303298	345389
2	असम	8426	12073	23211
3	बिहार	68975	73615	120957
4	चंडीगढ़	287	1253	1095
5	छत्तीसगढ़	79237	87675	96839
6	दमन और दीव एवं दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00
7	दिल्ली	3,160	4692	4950
8	गोवा	34	58	7
9	गुजरात	1,79,116	157584	95585
10	हरियाणा	70,464	55444	55814
11	हिमाचल प्रदेश	23,959	33149	13260
12	जम्मू कश्मीर	7,370	6567	6337
13	झारखंड	44,610	57784	36966
14	कर्नाटक	4,03,965	404008	259550
15	केरल	1,55,319	147531	70128
16	मध्य प्रदेश	3,46,289	636303	409056
17	महाराष्ट्र	7,49,317	362808	397924
18	मणिपुर	2,125	7938	5215
19	मेघालय	0.00	25	25
20	ओडिशा	1,43,861	191873	248213
21	पुदुचेरी	2,564	2694	1588
22	पंजाब	1,99,508	294284	267057
23	राजस्थान	1,51,922	229002	318555
24	सिक्किम	216	172	250
25	तमिलनाडु	6,43,761	934793	966840
26	तेलंगाना	0.00	0.00	69680
27	त्रिपुरा	16,858	19849	19538
28	उत्तर प्रदेश	9,49,934	644827	645967
29	उत्तराखंड	23,804	26216	26242
30	पश्चिम बंगाल	2,68,228	108693	247182
	कुल	**47,38,578**	**48,04,208**	**47,53,420**

ख. **ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना**

वित्तीय वर्ष		2023-24	2024-25	2025-26
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लाभार्थियों की संख्या (लाख में)	लाभार्थियों की संख्या (लाख में)	लाभार्थियों की संख्या (लाख में)
1	आंध्र प्रदेश	6.77	0	9.79
2	बिहार	0	1.40	5.31
3	छत्तीसगढ़	0	0	0
4	गोवा	0.01	0.01	0
5	गुजरात	4.08	5.94	6.37
6	हरियाणा	0.8	0	0.39
7	हिमाचल प्रदेश	0.18	0.04	0.25
8	जम्मू कश्मीर	0	$	0
9	झारखंड	3.51	4.28	$
10	कर्नाटक	2.93	1.41	2.14
11	केरल	0	0.58	$
12	मध्य प्रदेश	0	1.42	1.19
13	महाराष्ट्र	0	0	0
14	ओडिशा	0.5	0.54	$
15	पंजाब	0	0.08	0
16	राजस्थान	0	0.43	0.48
17	तमिलनाडु	4.76	4.59	3.67
18	तेलंगाना	1.56	0	0
19	उत्तर प्रदेश	1.83	2.29	3.1
20	उत्तराखंड	$	0.03	$
21	पश्चिम बंगाल	0	0.57	1.19
22	अंडमान और निकोबार द्वीप	0	0	0.002
23	दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव	0.01	0.01	$
24	चंडीगढ़	0	0	$
25	दिल्ली	0.02	0.04	$
26	पुदुचेरी	$	0	0
27	असम	0	0.56	$
28	मणिपुर	0.20	0.28	0.37
29	सिक्किम	0	0.02	0.03
30	त्रिपुरा	$	0.02	0.14
	कुल:	**27.16**	**24.53**	**34.42**

$ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचना नहीं दी गई।
